

उच्च न्यायालय पटना में
लेटर्स पेटेंट अपील No.1270/2018
सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला No.14425/2018

- =====
1. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपने महाप्रबंधक (एल. पी. जी.-एस.) प्रथम तल शाही भवन प्रदर्शनी रोड, पटना के माध्यम से।
 2. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जी-9 अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051।
 3. उप महाप्रबंधक एलपीजी-एस, इंडेन क्षेत्र कार्यालय, पटना।

..... अपीलार्थी/ऑ-रिट याचिका में उत्तरदाता
बनाम

रूपेश कुमार वर्मा पुत्र काली प्रसाद वर्मा, निवासी अंडर किला टेकरी, पी. एस.-टेकरी, जिला गया।

.....उत्तरदाता/ऑ

=====

पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट---10---प्रतिवादी-एलपीजी डीलरशिप के पुरस्कार के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को अपीलकर्ता निगम द्वारा आवेदन पत्र में विवरण भूमि के संबंध में गलत जानकारी और सुधार विलेख को स्वीकार न करने के कारण खारिज कर दिया गया एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को यह कहते हुए अनुमति दी गई कि सुधार विलेख और मूल पट्टा विलेख को एक ही दस्तावेज के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि, प्रस्तावित भूखंड की सीमाएं और जो क्षेत्र सत्यापन के दौरान सत्यापित की गई थीं, बदली नहीं गई हैं इसलिए, वर्तमान अपील।

निर्णय: विज्ञापन में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि यदि दी गई जानकारी किसी तथ्य को रोकने या छिपाने या गलत जानकारी देने के बराबर है तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यह रिकॉर्ड पर स्वीकार किया जाता है कि आवेदन पत्र में भूमि के भूखंड और खाता संख्या के संबंध में प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी गलत थी। खाता और भूखंड की संख्या में पर्याप्त भिन्नता थी, जिसे बाद में सुधार विलेख के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था और इसे टाइपोग्राफिकल त्रुटि नहीं कहा जा सकता है। इसलिए प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को योग्य उम्मीदवार के रूप में माने जाने से वंचित किया जाता है। विवादित निर्णय को खारिज कर दिया गया। अपील को स्वीकार किया गया।

2012 (2) पी एक जी भार 783 संदर्भित किया ।

उच्च न्यायालय पटना में
लेटर्स पेटेंट अपील No.1270/2018
सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला No.14425/2018

- =====
1. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपने महाप्रबंधक (एल. पी. जी.-एस.) प्रथम तल शाही भवन प्रदर्शनी रोड, पटना के माध्यम से।
 2. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जी-9 अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051।
 3. उप महाप्रबंधक एलपीजी-एस, इंडेन क्षेत्र कार्यालय, पटना।

..... अपीलार्थी/ओं-रिट याचिका में उत्तरदाता
 बनाम

रूपेश कुमार वर्मा पुत्र काली प्रसाद वर्मा, निवासी अंडर किला टेकरी, पी. एस.-टेकरी, जिला गया।

.....उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिती :

अपीलार्थी/ओं के लिए:	श्री के. डी. चटर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता
	श्री अमलेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता
	श्री अंकित कटरियार, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं के लिए:	श्री सुबोध के. झा, अधिवक्ता
	श्री प्रणव के. झा, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति. अंजना मिश्रा

मौखिक निर्णय

(प्रति:माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीख:26-06-2019

अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. डी. चटर्जी और प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री सुबोध कुमार झा को सुना।

विवाद एक बहुत ही छोटी परिधि का है जहां एक गोदाम की जगह के लिए दी गई भूमि के आधार पर एलपीजी डीलरशिप के पुरस्कार के संबंध में प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के दावे को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई है। विद्वान एकल न्यायाधीश के विवादित फैसले पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इस आधार पर आक्षेप किया है कि विज्ञापन के नियम और शर्तें, विवरणिका और तय किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी, इसलिए उक्त प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए बाद के सुधार विलेख के आधार पर प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को डीलरशिप नहीं दी जा सकती। अतः तर्क यह है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस न्यायालय की खंड पीठ के कानून को सही ढंग से लागू नहीं करके एक अंतर बनाने में त्रुटि की है जैसा कि **मैसर्स इंडियन ऑयल निगम लिमिटेड और एक अन्य बनाम राज कुमार झा और अन्य 2012 (2) पी. एल. जे. आर. 783 में दर्ज** ।

कुछ स्वीकृत तथ्य हैं जो निर्विवाद हैं, अर्थात्, आवेदन पत्र भरने और निविदा देने की अंतिम तिथि 14 अगस्त, 2017 थी, एक एलपीजी डीलरशिप के पुरस्कार के लिए, जिसके लिए गोदाम स्थापित करने के लिए भूमि की आवश्यकता थी।

प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता ने आवेदन किया और निर्विवाद रूप से प्रस्तावित भूमि एक पट्टे के तहत थी जिसे विशिष्ट सीमाओं के साथ खाता No.356 के प्लॉट No.123 के रूप में वर्णित किया गया था। दिशानिर्देशों के अनुसार, एक क्षेत्र सत्यापन किया गया था और फिर आवेदक-प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को यह बताया गया था कि उक्त भूमि पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती है और इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को दिशानिर्देशों के अनुसार एक वैकल्पिक भूमि की पेशकश करने का अवसर दिया गया था।

प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता ने एक वैकल्पिक भूमि की पेशकश करने के अवसर का लाभ उठाने के बजाय, 12 जून, 2018 को एक सुधार विलेख प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने यह रुख अपनाया कि मूल आवेदन पत्र में दी गई भूमि की खाता और भूखंड संख्या पट्टा विलेख में ही गलती के कारण गलत दर्ज हो गया था और इसलिए, इसे एक अलग विलेख (शुद्धि पत्र) के माध्यम से ठीक किया गया है और इसलिए, वही भूमि जिसे उसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसे प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता द्वारा दी गई भूमि माना जाना चाहिए।

फील्ड वेरिफिकेशन की रिपोर्ट के साथ-साथ इस सुधार विलेख दिए जाने को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, जिसके बाद पीड़ित प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर की है, जिसे यह मानते हुए स्वीकार किया गया है कि 12 जून, 2018 के सुधार विलेख और मूल पट्टा विलेख को एक ही दस्तावेज के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, और यह उस हद तक लागू होगा जब तक प्रस्तावित भूखंड, जिसके स्थल निरीक्षण के दौरान सीमा का निर्धारण किया जा चुका था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि यदि भूमि वही रहती है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यह आधार नहीं ले सकता है कि आवेदन पत्र में कोई त्रुटि है और यह भी कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को किसी भी तरह से गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया था ताकि उसे अयोग्य बनाया जा सके। **मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम राज कुमार झा और अन्य (ऊपर के मामले में खंडपीठ के निर्णय के असर पर गौर करते हुए)**, विद्वत एकल न्यायाधीश ने उसको इस आधार पर अलग किया कि उस मामले में एक त्रुटि थी जो अस्वीकार्य पाई गई थी और इसलिए, उक्त मामले के तथ्यों से अनुपात नहीं होगा जो वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू हो।

अपीलार्थियों के विद्वान वकील का तर्क है कि किया गया भेद कृत्रिम है, लेकिन उक्त निर्णय का अनुपात पूरी तरह से लागू होता है, क्योंकि तत्काल मामले में, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने स्वयं उस गलती को स्वीकार किया है जो सुधार विलेख के प्रतिपादन से ही

स्पष्ट है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विज्ञापन के नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए, जो स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि किए गए विवरण में पाई गई कोई भी त्रुटि, चाहे वह एक गलती हो, आवेदक को अयोग्य बना देगी। इसलिए, यह आग्रह किया गया है कि यह डिवीजन बेंच के फैसले का अनुपात है और इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश रिट याचिका को अनुमति देने में त्रुटि हो गई है।

अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह मानते हुए कि भूमि एक ही है और जिस पर बहुत अधिक बहस नहीं है, फिर भी आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूरी तरह से अलग भूखंड संख्या की है जो सुधार विलेख में दी गई भूखंड संख्या से काफी भिन्न है। यह गलत जानकारी स्पष्ट रूप से एक गलत जानकारी के बराबर है। जो प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को एक योग्य उम्मीदवार के रूप में माने जाने से वंचित करता है।

उक्त निवेदन का जवाब देते हुए, प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि सबसे पहले, विलेख में त्रुटि एक टंकण संबंधी त्रुटि थी जिसे एक उचित विलेख द्वारा ठीक किया गया था और विद्वान वकील द्वारा इस बात पर जोर दिया गया था कि जब तक भूमि समान रहती है, उसी सीमा के साथ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता के लिए गैर-उपयुक्त नहीं हो सकता था, जब तक कि न तो गलत निरूपण या धोखाधड़ी या कोई भी तत्व न हो जो इस तरह की टंकण संबंधी त्रुटि के कारण प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता को कोई अनुचित लाभ दे सकता है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी जानकारी के बारे में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा विज्ञापन के साथ-साथ विवरणिका में दी गई चेतावनी का उद्देश्य केवल धोखाधड़ी या गलत निरूपण के किसी भी तत्व को रोकना है और किसी अन्य योग्य उम्मीदवार को अयोग्य नहीं ठहराना है। इसलिए, वह प्रस्तुत करता है कि एक बार भूमि की पहचान समान रहने के बाद, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के लिए किसी भी वैकल्पिक भूमि की पेशकश करने का कोई अवसर नहीं था और सुधार विलेख को स्वीकार किया जाना चाहिए था जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी क्रम में माना गया है। इसलिए, वह प्रस्तुत

करता है कि विवादित फैसले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अपील खारिज की जानी चाहिए।

हमने निवेदनों पर विचार किया है और हमने पाया है कि विज्ञापन स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि एक उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि दी गई जानकारी किसी भी तथ्य को छिपाने या छिपाने या गलत जानकारी या गलत जानकारी देने के बराबर है जिसके परिणामस्वरूप उम्मीदवार की पात्रता प्रभावित होगी। जिन तीन श्रेणियों को विशेष रूप से प्रदान किया गया है, उन्हें उसमें बताए अनुसार पढ़ा जाना चाहिए।

और, हमारी सुविचारित राय में, **कोई भी गलत जानकारी उम्मीदवार की पात्रता को प्रभावित करेगी।** तत्काल मामले में, यह अभिलेख पर स्वीकार किया कि प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में भूमि के भूखंड और खाता संख्या के संबंध में दी गई जानकारी सही जानकारी नहीं थी और इसलिए, एक गलत जानकारी थी। भूखंड संख्या और खाता संख्या क्रमशः 123 और 356 थी। यह गलती स्वयं प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार की गई थी जब उन्होंने आवेदन पत्र की अंतिम तिथि समाप्त होने के लंबे समय बाद 12 जून, 2018 को सुधार विलेख प्रस्तुत किया था। खाता और प्लॉट की संख्या में पर्याप्त भिन्नता है जिसे बाद में प्लॉट No.122 के साथ खाता No.300 के रूप में प्रस्तुत किया गया था और वही, हमारी राय में, ऐसी त्रुटि नहीं है जिसे कम से कम प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र में टाइपोग्राफिक त्रुटि कहा जा सके। त्रुटि उस विलेख में हुई होगी जिसके लिए प्रतिवादी-याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से जिम्मेदार है और यह बाद में दिए गए सुधार विलेख को देखते हुए उसके द्वारा स्वीकार किया गया है। नतीजतन, आवेदन पत्र में निहित जानकारी और उसी के साथ दायर किए गए विलेख ने खाता और भूखंड संख्या के संबंध में स्पष्ट रूप से गलत जानकारी दी। इसलिए इसने प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को एक योग्य उम्मीदवार के रूप में माने जाने से वंचित कर दिया। इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इन तथ्यों के बिना निकाला गया निष्कर्ष इसलिए कानून की जांच में खड़ा नहीं हो सकता है। अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री

के. डी. चटर्जी, इसलिए, अपनी दलील में सही हैं कि मैसर्स इंडियन ऑयल निगम लिमिटेड और अन्य बनाम राज कुमार झा और अन्य के मामले में अपीलार्थियों द्वारा डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया गया है। जो कि वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है।

इसलिए हम अपील की अनुमति देते हैं और अर्थदंड के बारे में कोई आदेश दिए बिना विवादित फैसले को रद्द कर देते हैं।

(अमरेश्वर प्रताप साही, मुख्य न्यायाधीश)

(अंजना मिश्रा, न्यायमूर्ति)

सुनील/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के नुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।